संख्या- 47/2021/679/छप्पन-2021-11/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2021

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-610/आर0सी0एस0-2021-एफ-1/2018 दिनांक 16 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजीगत लेखा-''लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एअरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' मद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन व्यवस्था होने के पश्चात् अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भूमि क्रय के लिए रू0 53,86,25,139/- (रूपए तिरेपन करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार एक सौ उनतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या-40/2021/678/छप्पन-2021-04(सा0)/ 2020 दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजीगत लेखा-''लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एअरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' में धनराशि रू0 4937.29 लाख की धन व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराई गई है तथा पूर्व में इस मद में रू0 448.97 लाख की धनराशि उपलब्ध है। अत: सन्दर्भगत मद में कुल रू0 53,86,25,139/- की धन व्यवस्था है।

3- मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में अन्य प्रस्तावों के साथ निम्न प्रस्तावों पर कार्योत्तर अनुमोदन/ अनुमोदन प्रदान किया गया:-

क्र.सं.	प्रस्ताव	प्रयोजन	अनुमोदित लागत (रूपए में)
1.	शासन के पत्र संख्या-1244/छप्पन-2020-11/2013 दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा अतिरिक्त धनराशि रू0 14,74,96,000/- (रूपए चौदह करोड़ चौहत्तर लाख छियानवे हजार मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन।	ग्राम जनौरा के गाटों में पायी गयी विसंगतियों के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि	14,74,96,000/-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2.	शासन के पत्र संख्या-2228/छप्पन-2020-11/ 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा अतिरिक्त धनराशि रू0 10,28,50,800/- (रूपए दस करोड़ अट्ठाइस लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/ अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन।	ग्राम जनौरा व गंजा के 05 गाटों में पायी गयी विसंगतियों के कारण बढ़ी हुई धनराशि	10,28,50,800/-
3.	शासन के पत्र संख्या-1082/छप्पन-2020-11/ 2013 दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रू0 24,33,81,619/- (रूपए चौबीस करोड़ तैंतीस लाख इक्यासी हजार छः सौ उन्नीस मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन।	ग्राम धर्मपुर सहादत की 22.755 है0 भूमि का क्रय	24,33,81,619/-
4.	आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र संख्या-आर.ए.द्वितीय/आठ-1(19-20) 813 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा संस्तुत प्रस्तावानुसार अयोध्या के प्रथम चरण के विकास हेतु ग्राम धर्मपुर सहादत की चिन्हित भूमि के अन्तर की धनराशि रू0 4,48,96,720/- (रूपए चार करोड़ अड़तालीस लाख छियानवे हजार सात सौ बीस मात्र) पर अनुमोदन।	ग्राम धर्मपुर सहादत के गाटों के पुनरीक्षित दरों पर मूल्यांकन के पश्चात् बढ़ी हुई धनराशि	4,48,96,720/-
कुल धनराशि			**53,86,25,139/-**

मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-05/2021/210/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 28 जनवरी, 2021 निर्गत किया गया।

मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 12 फरवरी, 2019 को सम्पन्न बैठक में उक्त धनराशि रू0 6,40,26,96,501/- (रूपए छः अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार पॉच सौ एक मात्र) पर प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 5,25,91,89,242/- का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	शासनादेश संख्या/दिनांक	विषय	अवमुक्त की गई धनराशि
1	25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 2,00,00,00,000/-
2	63/2019/1235/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 2,00,00,00,000/-
3	94/2019/1884/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 नवम्बर, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 1,25,91,89,242/-
योग			**रू0 5,25,91,89,242/-**

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु ग्राम जनौरा व गंजा के गाटों में पायी गई विसंगतियां, ग्राम धर्मपुर सहादत की 22.755 है0 भूमि का क्रय तथा ग्राम धर्मपुर सहादत के गाटों के पुनरीक्षित दरों पर मूल्यांकन के पश्चात् बढ़ी हुई कुल धनराशि रू0 53,86,25,139/- (रूपए तिरेपन करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार एक सौ उनतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। अस्तु, शासनादेश संख्या-25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019 द्वारा निर्गत रू0 6,40,26,96,501/-(रूपए छ: अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार पॉच सौ एक मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 53,86,25,139/- (रूपए तिरेपन करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार एक सौ उनतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 53,86,25,139/- (रूपए तिरेपन करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार एक सौ उनतालीस मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भूमि के क्रय/अर्जन हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, अयोध्या से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

7- शासनादेश संख्या- 25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019, संख्या-1235/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2019, संख्या-94/2019/1884/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 नवम्बर, 2019, संख्या-12/2021/233/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 04 फरवरी, 2021 तथा संख्या-28/2021/423/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 25 फरवरी, 2021 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा- ''लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 559/दस-2021, दिनांक 24 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 47/2021/679(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in